न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
137 / 2018	23.05.2018	28.01.2020

उनवान

1. सुभाषचन्द पुत्र श्री रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

—: प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र श्री आनन्दीलाल जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
2. प्रियदर्शी उर्फ अशोक पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय , मुण्डावर जिला अलवर , राज0
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय , मुण्डावर जिला अलवर , राज0

—: असल प्रतिवादीगण

5. रविकुमार पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
6. अजीत कुमार पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
7. अरूणा बाई पुत्री रामप्रताप हाल पत्नी अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी नरसिंहजी के मन्दिर के पास खण्डेला तह0 सीकर , राज0

—: तर0 प्रतिवादीगण

दावाः— इशतकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

....

—: निर्णय :—

दिनांक :— 28.01.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0 ख0 न0 246/0.18 , 247/0.18 , 251/0.15 , 252/0.33 , 257/0.12 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 व 220/0.18 , 221/0.18 , 225/0.19 , 226/0.19 , 242/0.15 , 243/0.14 , 244/0.29 , 219/0.35 , 227/0.37 , 234/0.33 , 252/0.33 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हिस्सा व ख0 न0 253/0.15 है0 का 1/6 भाग व ख0 न0 216/0.18 , 217/0.15 , 230/0.28 , 231/0.28 है0 का 1/6 भाग दर 3/40 हिस्सा व ख0 न0 258/0.11 है0 का 1/6 भाग दर 3/160 हि0 व ख0 न0 233/0.35 , 235/0.68 , 240/0.52 , 248/0.43 , 250/0.36 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हि0 व ख0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

न0 230/0.27 , 239/0.25 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हि0 व ख0 न0 213/0.94, 223/0.83 , 259/0.21 है0 वाके ग्राम हुलगाना कंला तह0 गुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर मिन वादी व तर0 प्रति0 एवम् प्रतिवादी सं0 01 कि दादालाई पैत्रिक आराजी है जो दादा आनंदीलाल के कब्जे काश्त कि रही है। जो उनके फौत होने पर प्रति0 सं0 01 व मिन वादी के दादा आनंदीलाल के अन्य वारीसान को जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिस आराजी मे हम पक्षकारान के हक हकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत बाई बर्थ निहित है। सजरा पेश है एवं उक्ता अनुसार ही प्रति0 सं0 01 के नाम दर्ज आराजी मे 1/6 , 1/6 , 1/6 भाग है। इसी प्रकार अपने-अपने हिस्से पर प्रतिवादी सं0 01 के साथ आराजी पर काबीज होकर काश्त कर रहे है। प्रति0 सं0 01 जाईफ उम्र का व्यक्ति है सोचने समझने कि शक्ति क्षीण हो चुकि है जो प्रति0 सं0 02 के बहकावे में आया हुआ है जो बिना पारिवारिक आवश्यकता के दादालाई आराजी को बेचान कराने पर उतारू हो रहे है जबकि मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी जिविकोपार्जन के लिए नही है तथा प्रति0 सं0 01 को दादालाई आराजी के बेचान करने का कोई कानूनी हक हासिल नही है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस आफ कन्वीनेंस मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के पक्ष मे आयद वो साबित है तथा यदी वाकई मे वे अपने इन बेजा नापाक ईरादो मे कामयाब हो गये और आराजी को मुन्तकिल कर दिया तो भूखे मरने कि नोबत आ जावेगी जिससे मिन वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा दावा करना बेमायना हो जावेगा आदि आदि अंक्ति करते हुए वाद वादी व तर0 प्रतिवादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर कि पारीत कि जावे कि उपरोक्त विवादीत आराजीयात के बाबत मिन वादी , तर0 प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 को 1/6 , 1/6 , 1/6 भाग के कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जाकर मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के हिस्से तक प्रतिवादी सं0 01 का नाम हजफ किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को डिक्री हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से काश्त कार्य मे मजाहमत नही करे । रिकॉर्ड कि यथास्थिती का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलवी प्रतिवादी सं0 02 , 04 लगायत 07 अनुपस्थित रहने कि स्थिति मे इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पैरोकार सरकार द्वारा बार बार अवसर उपरान्त जवाब प्रस्तुत नही करने कि स्थिति मे जवाब का अवसर समाप्त किया गया तथा प्रतिवादी सं0 01 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब पेश कर वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

वादी ने अपने वाद पत्र कि ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 किता 8 प्रर्दश - 01 , मिलान क्षेत्रफल प्रर्दश -02 एवं दादालाई से सबंधित नकल जमाबन्दी समवत् 2002 किता 02 प्रर्दश -03 एवं मोखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र सुभाषचन्द पी0 डब्ल्यू -01 , मोहनलाल पी0 डब्ल्यू -02 , रामबाबू पी0 डब्ल्यू -03 पेश किये जो सामिल पत्रावली है।

वकील वादी कि एक पक्षीय बहस सुनी गई । दौराने बहस वादी के वाद पत्र के जिमनो को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात , मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र एवं प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब दावे अनुसार वादी के वाद को वकील वादी ने डिक्री किये जाने का अभिकथन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
गुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

वकील वादी कि ध्यान पुर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरान्त उरोक्त विविचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाया जाने कि स्थिति मे हाल आ0 ख0 न0 246/0.18, 247/0.18, 251/0.15, 252/0.33, 257/0.12 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 व 220/0.18, 221/0.18, 225/0.19, 226/0.19, 242/0.15, 243/0.14, 244/0.29, 219/0.35, 227/0.37, 234/0.33, 252/0.33 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हिस्सा व ख0 न0 253/0.15 है0 का 1/6 भाग व ख0 न0 216/0.18, 217/0.15, 230/0.28, 231/0.28 है0 का 1/6 भाग दर 3/40 हिस्सा व ख0 न0 258/0.11 है0 का 1/6 भाग दर 3/160 हि0 व ख0 न0 233/0.35, 235/0.68, 240/0.52, 248/0.43, 250/0.36 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हि0 व ख0 न0 238/0.27, 239/0.25 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हि0 व ख0 न0 213/0.94, 223/0.63, 259/0.21 है0 वाके ग्राम हुलमाना कंला तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी सं0 01 के नाम हो रहे अंकन को वादी एवं प्रतिवादी सं0 02 तथा तर0 प्रतिवादीगण सं0 05 लगायत 07 के हिस्से की हद तक प्रतिवादी सं0 01 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्त आराजीयात के बाबत प्रतिवादी सं0 01 के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 02 व तर0 प्रतिवादीगण को 1/6, 1/6, 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण असल को डिक्री हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त आराजीयात को रहन, बैय आदी प्रकार से मुन्तकिल न करे ना ही वादी के काश्त कार्य मे किसी भी प्रकार कि मजाहमत ही पैदा करे। पाबंद रहे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर, न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/01/20

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
मुण्डावर (अलवर) राज0
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned with CamScanner

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
137 / 2018	23.05.2018	28.01.2020

उनवान

1. सुभाषचन्द पुत्र श्री रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

—वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र श्री आनन्दीलाल जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
2. प्रियदर्शी उर्फ अशोक पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय , मुण्डावर जिला अलवर , राज0
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय , मुण्डावर जिला अलवर , राज0

— असल प्रतिवादीगण

5. रविकुमार पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
6. अजीत कुमार पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
7. अरूणा बाई पुत्री रामप्रताप हाल पत्नी अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी नरसिंहजी के मन्दिर के पास खण्डेला तह0 सीकर , राज0

— तर0 प्रतिवादीगण

दावाः— इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधि0

....

—: पर्चा डिक्री :—

दिनांक :— 28.01.2020

वादी की ओर से एडवोकेट श्री अखिलेश कौशिक व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.01.2020 को सुनिता यादव उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः मे हाल आ0 ख0 न0 246 / 0.18 , 247 / 0.18 , 251 / 0.15 , 252 / 0.33 , 257 / 0.12 है0 का 1 / 6 भाग दर 9 / 160 व 220 / 0.

Sd/

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

18 , 221/0.18 , 225/0.19 , 226/0.19 , 242/0.15 , 243/0.14 , 244/0.29 , 219/0.35 , 227/0.37 , 234/0.33 , 252/0.33 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हिस्सा व ख0 न0 253/0.15 है0 का 1/6 भाग व ख0 न0 216/0.18 , 217/0.15 , 230/0.28 , 231/0.28 है0 का 1/6 भाग दर 3/40 हिस्सा व ख0 न0 258/0.11 है0 का 1/6 भाग दर 3/160 हि0 व ख0 न0 233/0.35 , 235/0.68 , 240/0.52 , 248/0.43 , 250/0.36 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हि0 व ख0 न0 238/0.27 , 239/0.25 है0 का 1/6 भाग दर 9/160 हि0 व ख0 न0 213/0.94, 223/0.63 , 259/0.21 है0 वाके ग्राम हुलमाना कंला तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी सं0 01 के नाम हो रहे अंकन को वादी एवं प्रतिवादी सं0 02 तथा तर0 प्रतिवादीगण सं0 05 लगायत 07 के हिस्से की हद तक प्रतिवादी सं0 01 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्त आराजीयात के बाबत प्रतिवादी सं0 01 के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 02 व तर0 प्रतिवादीगण को 1/6 , 1/6 , 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण असल को डिक्री हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त आराजीयात को रहन, बैय आदी प्रकार से मुन्तकिल न करे ना ही वादी के काश्त कार्य मे किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे । पाबंद रहे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 28.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28/01/2020

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.03.05 16:17:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: